मध्यकालीन भारतीय समाज

आलोक कुमार*

भारत में इस्लाम के आगमन से पूर्व हिन्दू समाज कठोर वर्ण व्यवस्था में विभाजित था इसमें ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च एवं विशेषाधिकार प्राप्त थी। शूद्रों को निम्न तथा अस्पृश्य समझा जाता था। 13 वी0 शताब्दी में मुस्लिमों के आगमन के पश्चात् भारत में दो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के पारस्परिक प्रभाव के फलस्वरूप एक नवीन सामाजिक संरचना का विकास हुआ। हिन्दू समाज का शूद्र वर्ग समानता तथा भ्रातृत्व सम्बन्धी सिद्धान्तों से प्रभावित होकर इस्लाम की ओर आकृष्ट हुआ। इस वर्ग ने धर्म परिवर्तन के पश्चात भी बहुत से रीत रिवाजों को नहीं छोड़ा और उन्हें अपनी नवीन सामाजिक स्थिति के अन्तर्गत सम्मलित कर लिया। इन लोगों का सम्बन्ध हिन्दुओं के साथ बने रहे। धीरे धीर बाहरी मुस्लमानों के वंशज भी स्वयं को भारतीय मानने लगे।

मुस्लिम समाज के वर्गीकरण के सम्बन्ध में विद्वानों के मत भिन्न–भिन्न हैं। सामान्यतः इन्हें अशराफ एवं अजलाफ वर्ग में विभाजित किया जाता था। अशराफ को सम्मानित समझा जाता था। उमरा, उलेमा अशराफ वर्ग के प्रतिनिधि थे। अजलाफ में निम्न वर्ग के नागरिक एवं पेशेवर जैसे बुनकर, किसान, श्रमिक आते थे। ''हुमायूँ ने उमरा वर्ग को तीन श्रेणियों में विभाजित किया था– अहले दौलत, अहले सादात, अहले मुराद। अहले दौलत के अन्तर्गत राजपरिवार के सदस्यों तथा उच्च सैनिक अधिकारियों को रखा। अहले सादात में सद्र, काजी, उलेमा एवं प्रबुद्ध लोगों को रखा गया। अहले मुराद की श्रेणी में संगीतज्ञ, वादक, नर्तकी आदि थे।''[1]

हिन्दू समाज वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित था। इस विभाजन के अतिरिक्त इसमें अनेक जातियाँ एवं उपजातियाँ भी थी। ब्राह्मणों की स्थिति श्रेष्ठ थी तथा शूद्रों की स्थिति निम्न तथा दयनीय थी। इन पर अनेक सामाजिक निर्योग्यताऐं आरोपित की गयी थी।

मध्यकाल में वेशभूषा समय तथा स्थान के अनुसार होती थी। शासक वर्ग तथा सामान्य वर्ग के वेशभूषा में काफी अन्तर होता था। आरम्भिक सुल्तान अपने सर पर 'कुलह' (लम्बी टोपी) धारण करते थे। शीत काल में सुल्तान ओवर कोट की तरह 'दागला' पहनते थे। हुमायूँ वेशभूषा का बहुत शौकीन था, उसने विभिन्न

***नेट (इतिहास) 383, न्यू सिविल लाइन्सनिकट एस.एस.पी. निवास एटा।**

प्रकार के पहनावों का प्रचलन किया, जिन में 'उलबग्चा' प्रमुख था।[2] बदायूँनी के अनुसार हुमायूँ तथा अकबर की वेशभूषा में इतनी रूची थी कि वे प्रतिदिन नक्षत्र के अनुसार ही वस्त्र धारण करते थे।[3] अकबर के सम्बन्ध में मान्सरेट लिखता है कि,''बादशाह सिल्क के कपड़े पर सोने के सुन्दर काम किये हुए वस्त्रों को धारण करता था।''[4]

अमीर वर्ग के लोग कीमती वस्त्रों को धारण करते थे। वे शलवार और चूड़ीदार पायजामा भी पहनते थे।[5] उच्च हिन्दू वर्ग अमीरों के समान कीमती वस्त्र पहनते थे। ब्राह्मण तिलक और जनेऊ धारण करते थे। निर्धन मुसलमान बहुमूल्य तथा रंग बिरंगे वस्त्रों को न पहनकर सादे वस्त्रों को ही पहनते और अपना शरीर ढँकते थे।[6] मुसलमान स्त्रियाँ 'शलवार', 'चूड़ीदार पायजामा', कमीज आदि पहनते थे। हिन्दू स्त्रियाँ साड़ी, अंगिया आदि वस्त्रों का प्रयोग करती थी।

आभूषण स्त्री तथा पुरूष दोनों को ही प्रिय थे। स्त्रियाँ अपने आप को सर से लेकर पैर तक आभूषणों से सुशोभित करती थीं।[7] विधवा स्त्रियाँ ही आभूषणों रहित जीवन व्यतीत करती थीं। कर्णफूल, बाली, हार, गुलूबन्द, पायल, बिछुवा, कंगन, चूड़ियां आदि आभूषण स्त्रियाँ धारण करती थीं। इन आभूषणों को गढ़ने वालों को 'जर निशान', 'कोतगार', 'मीनाकार' आदि कहा जाता था।[8]

हिन्दुओं तथा मुसलमानों में खान–पान लगभग एक जैसा था। यद्यपि मुसलमानों में मांसाहार का ज्यादा प्रचलन था। कुछ मुगल शासकों ने मांसाहार पर सीमित रूप में प्रतिबन्ध लगाया था। सम्राट अकबर ने रविवार के दिन पशुवध पर रोक लगा दी थी तथा प्रत्येक शुक्रवार तथा रविवार को वह स्वंय भी मांस का सेवन नहीं करता था।[9]

बदायुँनी के अनुसार, ''अकबर ने मांस खाना ही नहीं वरन लहसुन और प्याज खाना भी छोड़ दिया था।''[10] मुसलमान भोजन में चावल, चपाती, सालन आदि का प्रयोग करते थे।

हिन्दू सामान्यतः शाकाहारी थे यद्यपि बंगाल, पंजाब में मांसाहार का भी प्रचलन था। सम्पन्न लोग भोजन में गेंहूँ, चावल, शाक–भाजी आदि का प्रयोग करते थे। इनके रसोई घर को चौका कहा जाता था, जो गोबर से लीपा हुआ होता था।[11] चौका पवित्र स्थान होता था, जहाँ कोई भी जूते पहनकर नहीं जा सकता था।

विभिन्न प्रकार की शराब का प्रयोग हिन्दू व मुसलमान दोनों ही करते थे। अलाउद्दीन खिलजी, अकबर जैसे शासकों ने शराब के प्रतिबन्ध लगाने की कोशिश भी की थी किन्तु यह बहुत सफल नहीं रहा। जहाँगीर लिखता है कि ''पहले मैं पैंतालीस तोला पीता था, किन्तु अब मैं साढ़े सैंतीस तोला ही पीता हूँ।''[12]

शाहजहाँ ने भी बाबर की तरह दक्षिण पर चढ़ाई के समय शराब चम्बल में फेंकवाकर सोने तथा चांदी के शराब के प्यालों को तुड़वाकर दीन दुखियों में बँटवा दिया था।[13] औरंगजेब ने भी मद्य निषेध घोषित कर दिया था।[14] शराब के अलावा अफीम, गाँजा, पोस्ता आदि का भी प्रयोग किया जाता था। अकबर भी पोस्ता का सेवन किया करता था।[15]

शासक वर्ग तथा सामान्य जन सभी को मनोरंजन में विशेष रूचि थी। कुश्ती, शतरंज, चौपड़, ताश, शिकार, कबूतरबाजी, तीतरबाजी आदि मनोरंजन के साधन थे। हुमायूँ ने नदी की सैर की शुरूआत की। भारत में ताश का प्रचलन सर्वप्रथम बाबर ने किया।[16] शतरंज के सम्बन्ध में पर्यटक अल्बेरूनी लिखता है कि शतरंज भारतीयों का बहुत प्रिय खेल था।[17] अकबर को शतरंज से विशेष लगाव था। वह हरम की दासियों के साथ शतरंज खेला करता था।[18]

बाग बगीचे भी आमोद प्रमोद का प्रमुख साधन थे। सुल्तान फिरोजशाह तुगलक ने अपने राज्य में बहुत से बाग बगीचे लगवाये थे।[19] मुगल बादशाहों ने बहुत से बाग लगवाये। बाबर ने 'हश्त बहिश्त' नामक बाग लगवाया। अकबर ने आगरा फतेहपुर सीकरी आदि में सुन्दर बाग लगवाये। जहाँगीर तथा शाहजहाँ ने भी आगरा कश्मीर, लाहौर आदि में बाग लगवाये।

नृत्य एवं संगीत समाज में मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। शासकों एवं अमीरों के अलावा सूफी संतों ने भी नृत्य एवं संगीत को प्रोत्साहित किया। चिश्ती सिलसिले में संगीत का विशेष स्थान था। खुसरो ने भारतीय 'वीणा' तथा ईरानी 'तम्बूरा' के संयोग से 'सितार' को जन्म दिया।[20] प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी थे। जहाँगीर और शाहजहाँ के काल में नृत्य एवं संगीत का प्रचलन था।[21] औरंगजेब की संगीत में रूचि नहीं थी। उसने नृत्य एवं संगीत को निषिद्ध घोषित कर दिया था।

हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ही समाजों में त्यौहारों के प्रति विशेष रूचि थी। कुछ त्यौहार ऐसे थे, जिनमें हिन्दू तथा मुसलमान दोनों की ही भागीदारी होती थी।

शासक का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। इस दिन शासक को सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से तौला जाता था। शहजादों को भी तौला जाता था।[22] इस सोने, चांदी, हीरे जवाहरात को गरीबों में बांट दिया जाता था।

नवरोज नववर्ष का इरानी त्यौहार था। मुगल इसे उत्साह से मनाते थे। इसके प्रथम तथा अंतिम दिनों का अधिक महत्व था।[23] अन्य मुस्लिम त्यौहारों में शब–ए–बारात, ईद–उल–फित्र, ईद–उल–जुहा, मोहर्रम, बाराबफात, ईद–मिलाद,

चेहल्लुम आदि प्रमुख थे।

मुगलों ने मनोरंजन के लिए मीना बाजार की शुरूआत करवाई। भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचलन हुमायूँ ने किया था।[24] यहाँ उच्च वर्ग के लोग एक दूसरे के सम्पर्क में आते थे। मीना बाजार का द्वार शाहीवंश तथा अमीर वर्ग के लोगों के लिए खुले थे, चाहें वे जिस धर्म को मानने वाले होते थे।[25]

हिन्दू अत्यधिक उत्सव प्रेमी थे। लगभग सभी ऋतुओं में इनके त्यौहार होते थे। यह हिन्दू त्यौहार प्राचीन कथाओं के साथ ही साथ विभिन्न ऋतुओं से भी सम्बन्धित हुआ करते थे।[26] बसंत पंचमी, होली , रक्षा बंधन, दशहरा, दीपावली, शिवरात्रि, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी आदि प्रमुख हिन्दू त्यौहार बड़ी धूम धाम से मनाये जाते थे।

विवाह हिन्दू तथा मुसलमान दोनो के ही जीवन का महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य था। इसके सम्पन्न होने की कोई निश्चित आयु नहीं होती थी। परन्तु दोनों समाज में ही शीघ्र अतिशीघ्र इस संस्कार को सम्पन्न करने की चेष्टा की जाती थी।[27] इस्लाम में चार पत्नियाँ रखने की अनुमति थी। अकबर ने अपने शासन के अन्तिम वर्षों में बहु विवाह पर प्रतिबन्ध लगाया परन्तु इस राजाज्ञा को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।[28]

मृतक संस्कार हिन्दू तथा मुसलमान दोनों समाजों में धार्मिक परम्पराओं के अनुसार किये जाते थे। हिन्दुओं में मृतक शरीर को अग्नि को समर्पित करते थे। मुसलमानों में मृतक शरीर को दफनाया जाता था।

मध्यकालीन समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। इन्हें पुत्र, पिता या पति पर निर्भर रहना पड़ता था। इस्लाम में स्त्री एवं पुरूष को समान माना गया है, किन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं था। पवित्र कुरान में स्त्रियों की प्रशंसा की गयी है, तथा परिवार में शिशु के चरित्र निर्माण के लिए उन्हें उत्तरदायी स्वीकार किया गया है।[29] अरब में स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। परन्तु पैगम्बर साहब ने स्त्रियों के प्रति अरबों के दुर्व्यवहार की घोर निंदा की और कहा कि वे किसी प्रकार भी पुरूषों से निकृष्ट नहीं हैं।[30]

हिन्दू समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक पुरूषों पर आश्रित थीं। पुत्री के जन्म को अशुभ समझा जाता था।

मुसलमानों के आगमन से पूर्व भारतवर्ष में पर्दा प्रथा का अभाव था।[31] किन्तु मुसलमानों के आगमन के पश्चात हिन्दुओं में भी पर्दा पर विशेष बल दिया जाने लगा। सुल्तान फिरोजशाह ने पर्दा के प्रचार को प्रोत्साहित किया। सती प्रथा तथा जौहर प्रथा का प्रचलन सामान्यतः हिन्दू समाज में था। तैमूर के आक्रमण के

समय भटनेर की मुसलमान स्त्रियों ने जौहर प्रथा को सम्पन्न किया था।[32] बहु विवाह तथा बाल विवाह का हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ही समाजों में प्रचलन था। अकबर ने बहु विवाह पर नियन्त्रण लगाने का प्रयास किया था। बाल विवाह मुगलकालीन हिन्दू समाज की प्रमुख विशेषता थी।[33] सामान्यतः नौ या दस वर्ष की अवस्था में बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता था।

दहेज वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाने वाला स्वैच्छिक उपहार होता था। किन्तु धीरे–धीरे इसने कुरीति का रूप धारण कर लिया। दहेज देना व स्वीकार करना प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाने लगा। दहेज के आधार पर वधू की परिवार में हैसियत का निर्धारण होता था। जिसके परिणामस्वरूप वधुओं में कुंठा व निराशा का भाव बढ़ गया जिसकी परिणति कभी कभी आत्महत्या के रूप में होने लगी।

मध्यकाल में भारतीय समाज को मुख्य रूप से दो अलग अलग संस्कृतियों ने पारस्परिक रूप से प्रभावित करते हुए एक नवीन सामाजिक संरचना का विकास किया। जिसने भारत में समन्वित संस्कृति के विकास को बढ़ाया, तथा दोनों ही संस्कृतियों ने एक दूसरी संस्कृति के तत्वों को स्वीकार किया।

सन्दर्भ :–

1. अहमद, लईक, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2005, पृ0 161
2. ख्वान्दमीर, अनु0 बेनी प्रसाद, कानून–ए–हुमायूँ, कलकत्ता, 1940, पृ0 50
3. बदायूँनी, अब्दुल कादिर, अनु0 लोवी, मुन्तखब उत–तवारीख, खण्ड–2, पटना 1973, पृ0 268
4. मान्सरेट, दि कमेन्टेरियस, अनु0 होयलैन्ड, लंन्दन 1922, पृ0 198
5. फज्ल, अबुल, आईन – ए – अकबरी, अनु0 ब्लॉचमैन, भाग 1, नई दिल्ली, 1977 पृ0 95
6. अशरफ, के0एम0, लाइफ एण्ड कन्डीशन ऑफ द पिपुल ऑफ हिन्दुस्तान, दिल्ली, 1972, पृ0 175
7. वही, पृ0 182
8. हुसेन, युसुफ, गिलिम्पसेस ऑव,मेडिवल इण्डियन कल्चर, बम्बई, 1962, पृ0 134
9. फज्ल अबुल, उपरोक्त, पृ0 64
10. बंदायूनी, अब्दुल कादिर, उपरोक्त पृ0 313
11. अशरफ, के0एम0,उपरोक्त, पृ0 182

12. जहाँगीर, तुजुक–ए–जहाँगीरी अनु0 रोजर्स एण्ड बेवरीज, पृ0 35
13. सक्सेना, बी0पी0 हिस्ट्री ऑफ शाहजहाँ ऑफ देहली, ब्यूरो ऑफ प्रमोशन ऑफ उर्दू, दिल्ली, 1978 पृ0 27
14. मनूची, स्टोरियो दो मोगोर, सं0 इरविन भाग 1, लंन्दन, 1907–08, पृ0 5–6
15. स्मिथ, वी0ए0, अकबर दी ग्रेट मुगल, दिल्ली, 1966, पृ0 336
16. अशरफ, के0एम0, उपरोक्त, पृ0 197
17. अल्बेरूनी, किताबुल हिन्द, अनु0 ई0सी0 सखाऊ, अल्बरूनीज इण्डिया, एस0 चांद एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, 1964, पृ0 183
18. लेनपूल, हिस्ट्री ऑफ इण्डिया भाग – 4, पृ0 37
19. बनर्जी, जे0एम0, हिस्ट्री ऑफ फिरोज तुगलक, नई दिल्ली, 1967 पृ0 218
20. हुसेन, युसुफ, उपरोक्त पृ0 126
21. चोपरा, पी0एन0, सम आस्पेक्टस ऑफ सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मुगल एज, आगरा, 1963 पृ0 79
22. फज्ल, अबुल, उपरोक्त, पृ0 277
23. वही पृ0 286
24. गुलबदन बेगम, हुमायूँनामा, अनु0 बेवरीज, नई दिल्ली, 1972 पृ0 26
25. हुसेन युसुफ, उपरोक्त, पृ0 128
26. अशरफ, के0एम0, उपरोक्त, पृ0 202
27. वही पृ0 146
28. रिज्वी, एस0ए0ए0, दि वण्डर दैट वाज इण्डिया भाग – 2, लंदन, 1987, पृ0 200
29. नन्द, एल0सी0, वीमेन इन देहली सल्तनत, इलाहाबाद, 1989 पृ0 32
30. वही, पृ0 33
31. अल्टेकर, ए0एस0, दि पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिन्दू सिवलाइजेशन, बनारस , 1938, पृ0 206
32. लाल, के0एस0, टिवलाइट ऑफ दि सुल्तानेट, उपरोक्त पृ0 269
33. मिश्रा, रेखा, वीमेन इन मुगल इण्डिया, नई दिल्ली पृ0 131